[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 78/2020 -केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 15 अक्तूबर, 2020

सा0का0नि0......(अ).-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, अधिसूचना केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 660 (अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 12/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी, सारणी के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :-

"सारणी

क्रम संख्या (1)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त (2)	नाम पद्धति संहिता के सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के अंको की संख्या (एच एस एन कोड) (3)
1.	पांच करोड़ रुपए तक	4
2.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	6

बशर्ते कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका सकल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक है, उक्त नियमों के अधीन उसके द्वारा जारी किसी (अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों की आपूर्ति के) कर बीजक में उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट एचएसएल कोड के अंकों की संख्या का उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं है।“

[फा. सं. सी बी ई सी-20/06/09/2019-जी एस टी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 12/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. संख्यांक 660 (अ) तारीख, 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।